6

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में श्रावणी मेला–2026 की विभागवार तैयारियों, व्यवस्थाओं एवं आवश्यकताओं से संबंधित समीक्षात्मक बैठक दिनांक–21.05.2026 की कार्यवाही।

बैठक में सर्वप्रथम सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उपस्थित अन्य माननीय मंत्रिगण एवं उपस्थित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव का स्वागत किया गया।

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि विभाग स्तर से द्वारा श्रावणी मेला हेतु संबंधित जिलों को आवंटन दिया जाता है। श्रावणी मेला से संबंधित कुल–13 जिले हैं, जिसमें मुख्य रूप से 6 जिले, यथा–भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली हैं। श्रावणी मेला के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष–2025–26 में ₹ 5,65,89,822/– (पांच करोड़ पैंसठ लाख नवासी हजार आठ सौ बाईस) रुपये मात्र का आवंटन संबंधित जिलों को उपलब्ध कराया गया है।

इसके पश्चात बैठक में उपस्थित सभी महत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा मेला की तैयारियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया :–

1. **गृह विभागः–** गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा बताया गया कि विभाग के स्तर से पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबल उपलब्ध कराया जाएगा।

एडीजी(लॉ एंड ऑर्डर), बिहार के द्वारा सुरक्षा एवं सुचारू व्यवस्था हेतु पूर्व के अनुभवों को साझा करते हुए कतिपय सुझाव दिये गये, यथा–

- प्रत्येक दुकान का पंजीकरण अनिवार्य करना।
- खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का ध्यान रखना।
- खाद्य पदार्थों एवं अन्य सामग्रियों के दर में समानता रखना
- इलेक्ट्रोक्यूशन होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए लीगल विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था करना।
- सी0सी0टी0वी0 कैमरा से निरन्तर मॉनिटरिंग।
- 90 किलो मीटर के पूरे कावंरिया मार्ग पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा के द्वारा निगरानी की व्यवस्था, ताकि उपद्रव फैलाने वालों को चिन्हित किया जा सके।

- राज्यान्तर्गत अन्य प्रसिद्ध शिवालयों में भी सभी मूल–भूत सुविधाओं की व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण एवं प्रबंधन तथा विधि व्यवस्था का संधारण अच्छी तरह कराया जाना।

- **माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि** इससे संबंधित पत्र संबंधित विभागों को भेजा जाय।

- माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा सुझाव दिया गया कि जिस जिलें में शिवालय है, उन जिलों के पुलों का सुरक्षा ऑडिट करा लिया जाए, क्योंकि बहुत पुराने पुल भी है, जिनसे होकर श्रद्धालु जाएंगे। श्रावणी मेला के लिए प्रत्येक जिला प्रशासन के माध्यम से सभी सुरक्षा मापदंडों की जांच कराई जाए एवं सतर्कता बरता जाना चाहिए

- **माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि** एक विस्तृत रिपोर्ट सभी जिला से मंगा लिया जाए ताकि स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी क्या–क्या तैयारी हो गई है तथा किस तरीकें से वे तैयारी कर रहे हैं और किन–किन चीजों की विभाग स्तर से जरूरत है। श्रावणी मेला की तैयारियों के संबंध में सभी जिला से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए, जिसमें तैयारी की पूर्ण अद्यतन स्थिति स्पष्ट हो। साथ ही, आवश्यकता का भी उल्लेख हो।

- **माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि** मुख्य सचिव के स्तर से बिहार के सभी जिलों के साथ श्रावणी मेला, 2026 की तैयारियों, व्यवस्थाओं एवं आवश्यकताओं के संबंध में एक समीक्षा बैठक की जाए।

- पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा सुझाव दिया गया कि जिला स्तरीय शांति समिति एवं थाना स्तरीय शांति समिति का पुनर्गठन करते हुए बुजुर्ग लोगों के साथ–साथ नवयुवक वर्ग के लोगों को भी शामिल किया जाय।

2. नगर विकास एवं आवास विभाग :– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा. बताया गया क़ी साफ–सफाई एवं शौचालय की सभी तैयारियां की जा रही है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि पंचायती राज विभाग को भी इस कार्य के लिए जोड़ा जाए, क्योंकि उनके स्तर से भी साफ–सफाई की जिम्मेदारी बनती है।

3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागः– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि स्वच्छ पेयजल हेतु चापाकल, नल–कूप, टैंकर एवं पाईपलाईन की व्यवस्था किया जाता है। सभी व्यवस्था अच्छे तरीके से किया जाएगा।

4. पथ निर्माण विभागः– सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि सभी तैयारियां की जा रही है। ससमय सब कुछ पूर्ण कर लिया जाएगा। 90 किलो मीटर का सड़क बांका, भागलपुर एवं

मुंगेर से होकर गुजरता है जिस पर मिट्टी और बालू की बिछावट चल रही है। अगले सप्ताह तक यह कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि कावंरिया मार्ग के शुरूआत के 4 किलो मीटर में पी0सी0सी0 और ब्लैक टॉप वाले क्षेत्र में बालू वाला काम कर लिया जाय। सुल्तानगंज से भागलपुर के शहर से होकर आने–जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाहर ही बाहर आने की व्यवस्था किया जाए।

5. ऊर्जा विभागः– सचिव, उर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि विभाग की ओर से पूरी तैयारी चल रही है। मेला क्षेत्र को 16 जोन में बांटा गया है। अतिरिक्त मैन पावर की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था कर ली जायेगी।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि बिजली की व्यवस्था अस्थायी हो, जो अच्छा भी रहेगा और रेवेन्यू भी आयेगा। सभी दुकानों के निबंधन एवं विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था एक ही फॉरमेट में कराया जाए।

6. स्वास्थ्य विभाग :– सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि सभी तैयारियां की जा रही है, जिसको समय पर पूरा कर लिया जाएगा। भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से खाद्य निरीक्षक से कराने के बिन्दु पर कार्य किया जा रहा है एवं इसका विशेष ध्यान रखा जायेगा।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि कावरियों को पहुंचने में 03 से 04 दिन का समय लगता है। इस रूट पर आपातकालीन सेवा की व्यवस्था अनिवार्यतः की जाए। खाद्य निरिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करे।

7. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागः– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा बताया गया कि खाद्य सामग्री की जांच की जाती है एवं इस हेतु अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

8. आपदा प्रबंधन विभागः– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि एन0डी0आर0एफ0 एवं एस0डी0आर0एफ0 की टीम तैनात किया जाएगा। सभी व्यवस्था पूरी की जा रही है।

9. जल संसाधन विभागः– सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि विभाग का मुख्य कार्य घाटों की गहराई एवं सुरक्षित माप बताना होता है। जिला स्तर से उसकी तैयारी की जाती है। घाटों की बैरीकेडिंग किया जाता है। खतरनाक घाट को प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि वैकल्पिक कावरियां मार्ग चिन्हित करके बनवाया जाय।

10. पर्यटन विभागः– सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि भागलपुर, मुंगेर एवं बांका में पिछले साल से अधिक टेंट सिटी की व्यवस्था किया जा रहा है। रैन बसेरा की भी व्यवस्था करायी

जाएगी। इन सभी जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था किया जाना है। पिछले बार की अपेक्षा बेहतर व्यवस्था की जा रही है।

11. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागः– अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बताया गया कि जंगल के रास्ते में जितने भी कांवरियां पथ पड़ते हैं, उनकी सुरक्षा एवं आवागमन की अच्छी व्यवस्था की जा रही है। जगह–जगह होर्डिंग और बैनर की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अधिकारियों का मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित होगा।

12. परिवहन विभागः– सचिव, परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि जो भी कांवरियां पथ है, उसपर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की गाड़ियां चलती हैं, जिसका किराया ज्यादा नहीं रखा जाता है। नदियों में नावें चलायी जाती है जिसका निबंधन कराया जाता है। नावों में ओवर लोडिंग न हो इसका विशेष ख्याल रखा जातां है। इन सभी यातायात साधनों हेतु एक नियत किराया दर निर्धारित किया जायेगा।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि भागलपुर ब्रिज का कार्य 28 जुलाई तक पूर्ण कर लिया जाय।

इस संबंध में सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि 15 जुलाई तक भागलपुर ब्रिज चालू करा दिया जायेगा।

13. सूचना एवं जन संपर्क विभागः– सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा बताया गया कि मुख्य रूप से विभाग का काम प्रचार प्रसार करना होता है। सभी जगह प्रचार–प्रसार सही ढंग से किये जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया।

(प्रत्यय अमृत)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–9/श्रावणी मेला (बैठक)–IV–04/2026–1514(9)/रा0, पटना दिनांक–08/06/2026

ई–मेल **प्रतिलिपिः–** प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल/मुंगेर प्रमंडल/तिरहुत प्रमंडल/सारण प्रमंडल/पूर्णियाँ प्रमंडल/दरभंगा प्रमंडल एवं मगध प्रमंडल/ समाहर्त्ता, भागलपुर/ मुंगेर/ बांका/ जमुई/ बेगूसराय/ लखीसराय/ मुजफ्फरपुर/ पूर्वी चम्पारण/ वैशाली/ सारण/ पूर्णियाँ/ मधुबनी एवं जहानाबाद/ पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/ मुंगेर /बांका /जमुई/ बेगूसराय/ लखीसराय/ मुजफ्फरपुर/ पूर्वी चम्पारण/ वैशाली/ सारण/ पूर्णियाँ/ मधुबनी एवं जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/6/26

(मोना झा)
उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।

ज्ञापांक–9/श्रावणी मेला (बैठक)–IV–04/2026–1514(9)/रा0, पटना दिनांक–08/06/2026

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/गृह विभाग/ऊर्जा विभाग/भवन निर्माण विभाग/परिवहन विभाग/स्वास्थ्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/पर्यटन विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/जल संसाधन विभाग/निदेशक, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना एवं अध्यक्ष, बिहार पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, विद्युत भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/6/26

(मोना झा)
उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।

ज्ञापांक–9/श्रावणी मेला (बैठक)–IV–04/2026–1514(9)/रा0, पटना दिनांक–08/06/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

08/6/26

(मोना झा)
उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।

ज्ञापांक–9/श्रावणी मेला (बैठक)–IV–04/2026–1514(9)/रा0, पटना दिनांक–08/06/2026

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

08/6/26

(मोना झा)
उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।